<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

युगल पीठः
मान. श्री टी.पी. शर्मा एवं
मान. श्री आर.एल. झंवर,
न्यायाधिपतिगण

<u>दांडिक अपील क्र. 376/1989</u>

ईश्वरलाल व एक अन्य

विरुद्ध

म. प्र. राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

हस्ता/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधिपति

मान. श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्ति

मैं सहमत हूं।

हस्ता/-

आर.एल. झंवर,

न्यायाधिपति

15/2/2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध :

हस्ता/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधिपति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 376/1989

युगल पीठ: मान. श्री टी.पी. शर्मा एवं
मान. श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधिपतिगण

आवेदकगण (अभिरक्षा में)	1. ईश्वरलाल आत्मज छेदीलाल सूर्यवंशी आय 22 वर्ष 2. भगवतीबाई उर्फ भगवंती बाई सूर्यवंशी पति छेदीलाल उम्र 40 वर्ष दोनों निवासी डवरीपारा,नगोई पुलिस थाना, सरकंडा तहसील व जिला बिलासपुर
विरुद्ध	
प्रत्यर्थी	म.प्र. राज्य (अब छ.ग.) द्वारा थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:-

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अरुण कोचर

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार झा

निर्णय

(15 फरवरी, 2010 को उद्घोषित)

न्यायाधिपति टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

1. इस अपील में बिलासपुर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 176/1989 में दिनांक 31.3.1989 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें और जिसके द्वारा विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को निर्मला की हत्या के

लिए दोषी ठहराते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत उन्हें 2000 रुपये के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास तथा जुर्माना अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

2. निर्णय इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि हत्या के अपराध का कोई भी सबूत न होने के बावजूद, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जिससे उन्होंने अविधिमान्य कार्य किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि, 4 फरवरी 1989 को शाम लगभग 4 बजे डबरीपारा नगोई, सरकंडा पुलिस स्टेशन, जिला बिलासपुर में अपीलकर्ता ईश्वर की पत्नी निर्मला उनके घर में मौजूद थी, वह गर्भवती थी। अपीलार्थी क्र. 2 का मृतका से अक्सर झगड़ा होता रहता था। मृतका का शव अपीलकर्ताओं के घर में मिला। अपीलकर्ताओं ने मृतका के मायके वालों समेत सभी लोगों को बताया कि उसने उनके घर में फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छेदीलाल ने पुलिस को मृत्यु की सूचना दी (प्रदर्श पी/14)। जाँच अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और (प्रदर्श पी/1) द्वारा गवाहों को तलब करने के बाद फर्श पर पड़ी मृतका निर्मला के शव का निरीक्षण किया गया (प्रदर्श पी/2)। अपीलकर्ता ईश्वर से एक रस्सी बरामद की गई (प्रदर्श पी/3)। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला

अस्पताल, बिलासपुर भेजा गया। डॉ. जवाहरलाल श्रीवास्तव (अ.सा.-12) द्वारा प्रदर्श पी/9 के माध्यम से शव परीक्षण किया गया और उसमें निम्नलिखित लक्षण और चोटें पाई गईं:-

i) नाक और मुँह दोनों पर खून मिला हुआ सफेद झाग दिखाई दे रहा था। आँखें आंशिक रूप से खुली हुई थीं। कंजंक्टिवा में रक्त का जमाव था। जीभ दाँतों के बीच दबी हुई थी और उसका सिरा नीला पड़ गया था।

ii) आंतरिक परीक्षण में थायरॉइड उपास्थि के नीचे, 1 सेमी **x** 16 सेमी आकार का, लाल रंग का एक अर्धवृत्ताकार लिगेचर चिह्न देखा गया। लिगेचर चिह्न के किनारों पर नील और खरोंचें थीं।

iii) चमड़े के नीचे के ऊतकों को जाँचा गया, आसपास की निचली माँसपेशियों में घाव के निशान थे, कंठास्थि में फ्रैक्चर था (कंठास्थि के बायां कोने) और थायरॉइड उपास्थि में फ्रैक्चर था।

iv) मस्तिष्क और झिल्लियाँ रक्त से भरी हुई थीं। श्वासनली में रक्त जमा था। उसमें लाल-सफेद झाग था। थायरॉइड उपास्थि और कंठास्थि में (बारीक) फ्रैक्चर पाया गया। दोनों फेफड़ों में रक्त जमा था। हृदय का दाहिना कक्ष गाढ़े रक्त से भरा था, जबकि बायाँ कक्ष खाली था। पेट और आंतों में रक्त जमा था और उनमें अर्धठोस और तरल पदार्थ थे। प्लीहा, यकृत और गुर्दे में रक्त जमा था।

मृत्यु का कारण गला घोंटने से हुई घुटन थी। मृत्यु के बाद शरीर पर रस्सी के निशान पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. चिकित्सक द्वारा संक्षिप्त शव विच्छेदन प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/9ए) भी दिया गया, जिससे पता चलता है कि मृत्यु का कारण गला घोंटने से दम घुटना था। अपीलकर्ता भगवती से चूड़ियाँ (प्रदर्श पी/4) जब्त की गईं। घटनास्थल

पर मिली चूड़ियों के टूटे टुकड़े (प्रदर्श पी/5) जब्त किए गए। शव विछेदन के बाद कपड़े, आभूषण और रस्सी (प्रदर्श पी/6) जब्त किए गए। अपीलकर्ता भगवती को चिकित्सा परीक्षण के लिए भी भेजा गया, जहाँ डॉ. संजय गुप्ता (अ.सा.-11) ने कलाई पर तीन गहरे घाव (प्रदर्श पी/8) पाए। डॉ. जवाहरलाल श्रीवास्तव ने रस्सी (प्रदर्श पी/10) की जाँच की और राय दी कि रस्सी पर लगा निशान परीक्षण के लिए भेजी गई रस्सी के कारण हो सकता है। प्राथमिकी (प्रदर्श पी/15) दर्ज की गई। आंतरिक अंगों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया (प्रदर्श पी/16)। आंतरिक अंगों में जहर नहीं पाया गया (प्रदर्श पी/16)। योनि स्मीयर की स्लाइड भी जांच के लिए भेजी गई थी और स्लाइड पर रक्त पाया गया था, लेकिन स्लाइड में मानव शुक्राणु नहीं पाए गए थे (प्रदर्श पी/18)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा गया है) की धारा 161 के अनुसार साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। जाँच पूरी होने के बाद, बिलासपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को बिलासपुर सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहाँ से बिलासपुर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए प्रकरण प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों से पूछताछ की है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के बयान भी संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उत्पन्न परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोषता का दावा करते हुए अपराध में झूठे फँसाए जाने की बात कही।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने अपीलकर्ताओं के वकील श्री अरुण कोचर और राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री राकेश कुमार झा की बात सुनी और अधीनस्थ न्यायालय के फैसले और अभिलेख का अवलोकन किया।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने पुरजोर तर्क दिया कि अपीलकर्ता क्र. 1 को सजा पूरी होने के बाद 02.05.2000 को रिहा कर दिया गया था और उनकी रिहाई परिवीक्षा पर हुई थी। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यह प्रकरण मृतका निर्मला द्वारा अपीलकर्ताओं के घर में की गई आत्महत्या का है। अपीलकर्ताओं ने घटना की सूचना तुरंत मृतका के मायके वालों को दी थी, उन्होंने मृतका की मृत्यु को छिपाया नहीं है और न ही कोई झूठा स्पष्टीकरण दिया है। केवल इसलिए कि मृत्यु अपीलकर्ताओं के घर में हुई, वे किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। डॉक्टर की राय निर्णायक नहीं है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने पडला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में या अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने में विफल रहने पर, आरोपी के विरुद्ध प्रबल संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। विद्वान अधिवक्ता ने छित्तर बनाम राजस्थान राज्य के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास की स्थिति में, केवल वापस लिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि मृतका अपीलकर्ताओं के घर में मृत पाई गई थी। शव विच्छेदन प्रतिवेदन से भी पता चलता है कि मृतका की मृत्यु गला घोंटने से हुई है, न कि फाँसी से। मृतका की मृत्यु अपीलकर्ताओं की हिरासत में हुई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं को यह स्पष्टीकरण देना अनिवार्य था कि उनकी हिरासत में उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन स्पष्टीकरण देने के बजाय उन्होंने झूठा स्पष्टीकरण दिया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, अपीलकर्ताओं को उस तथ्य को साबित करना अनिवार्य था जो उनके संज्ञान

में था। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह प्रकरण अपीलकर्ताओं द्वारा गवाहों के समक्ष दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति पर आधारित है।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए तर्कों को समझने के लिए, हमने अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने मृतका की हत्या स्वीकार नहीं की है। उन्होंने केवल दम घुटने से हुई असामान्य मृत्यु को स्वीकार किया है। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलकर्ताओं ने निर्मला (मृतका) का गला घोंटा था। मृत्यु की प्रकृति पूरी तरह से डॉ. जवाहरलाल श्रीवास्तव (अ.सा.-12) के कथन और उनके शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/9) पर निर्भर करती है, जिन्होंने शव परीक्षण किया था। डॉ. जवाहरलाल श्रीवास्तव (अ.सा.-12) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उन्होंने 06.02.88 को शव परीक्षण किया था। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका 2, 3, 4 और 5 में स्पष्ट रूप से बताया है कि शव परीक्षण के समय उन्हें क्या मिला था। उनके साक्ष्य के कंडिका 2 से 5 के अनुसार, यह पता चलता है कि दोनों नथुनों और मुँह पर खून से सना हुआ सफेद झाग देखा गया था। आँखें आंशिक रूप से खुली थीं। कंजंक्टिवा में रक्त वाहिकाएँ सूजी हुई थीं। जीभ दाँतों के बीच दबी हुई थी और उसका सिरा नीला पड़ गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। थायरॉइड उपास्थि के नीचे 1 सेमी **x** 16 सेमी आकार का एक अर्धवृत्ताकार लाल रंग का लिगेचर चिह्न दिखाई दे रहा था। त्वचा के किनारों पर नील के निशान और खरोंचें थीं। आंतरिक जाँच में यह भी पाया गया कि चमड़े के नीचे के ऊतक लाल थे, आसपास की निचली माँसपेशियों में घाव के निशान थे, कंठास्थि (कंठास्थि के बायाँ हिस्सा) टूटा था और थायरॉइड उपास्थि टूटी हुई थी तथा मस्तिष्क और झिल्लियाँ रक्त से भरी हुई थीं। आहारनाल में लाल-सफेद झाग भरा हुआ था, थायरॉइड उपास्थि और कंठास्थि में फ्रैक्चर था, दोनों फेफड़े अवरुद्ध थे। हृदय का दायाँ कक्ष गाढ़े रक्त से भरा हुआ था, और बायाँ कक्ष खाली था। पेट और आँतें अवरुद्ध थीं, और उनमें अर्धठोस और तरल पदार्थ मौजूद थे। तिल्ली, यकृत और गुर्दे में रक्त का प्रवाह रुका हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उन्होंने कहा है कि शव परीक्षण पूरा होने के तुरंत बाद उन्होंने एक संक्षिप्त शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/9ए) दिया था, जिसमें मृत्यु का कारण बताया गया था। प्रति परीक्षण के कंडिका 14 में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट (प्रदर्श पी/9ए) में यह उल्लेख नहीं किया कि मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक थी। उन्होंने प्रति परीक्षण के कंडिका 15 में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी/9ए) में भी यह उल्लेख किया है कि मृत्यु प्रकृति में हत्यात्मक

थी और उन्होंने इस संभावना का खंडन किया है कि क्योंकि उन्हें मृत्यु की प्रकृति के बारे में निश्चितता नहीं थी कि यह हत्या थी या आत्महत्या, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया। अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 16 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें मृतका निर्मला के शरीर पर आत्महत्या से मृत्यु का संकेत देने वाला कोई लक्षण नहीं मिला। कंडिका 16 (दोहराया गया पैरा) में उन्होंने कहा है कि यह असंभव है कि गर्दन पर बँधी रस्सी को खोलने की कोशिश करते समय उपरोक्त फ्रैक्चर हो सकते हैं। अपनी प्रति परीक्षण के कंडिका 18 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि थायरॉइड उपास्थि व कंठास्थि पर पाए जाने वाले घाव और माँसपेशियों में चीरे आत्महत्या के मामलों में नहीं पाए जा सकते। बचाव पक्ष ने इस गवाह से विस्तार से प्रति परीक्षण की है। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि यह केवल गला घोंटने का प्रकरण था, फाँसी या आत्महत्या का नहीं। इस गवाह ने गला घोंटने और फाँसी के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया है। मृतका के शरीर पर पाए गए लक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतका निर्मला की मृत्यु फाँसी के कारण नहीं हुई है, आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया था, लेकिन गला घोंटने के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है और गला घोंटने की स्थिति में, मृत्यु की प्रकृति हत्या थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहाँ तक विचाराधीन अपराध में अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का संबंध है, यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित परिस्थितियों से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं:

i) अपीलकर्ताओं द्वारा पुशाऊ (अ.सा.-3) और छेदीलाल (अ.सा.-8) के समक्ष दिया गया गैर-न्यायिक इकबालिया बयान,

ii) मृतका की मृत्यु अपीलकर्ताओं के घर में उनकी हिरासत में हुई थी।

iii) मृत्यु , हत्या के परिणामस्वरूप हुई थी।

iv) अपीलकर्ताओं ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अपेक्षित कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका अपीलकर्ताओं के साथ उनके घर में मौजूद थी और असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। अपीलकर्ताओं ने अपनी गवाही में स्वीकार किया है कि मृतका की मृत्यु उनके घर में हुई और वे घर में मौजूद थे। उनके बचाव के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने मृतका की रस्सी खोली थी, जो मृतका की मृत्यु के समय उनकी उपस्थिति को दर्शाती है। अपीलकर्ताओं ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका को चोटें कैसे लगीं। उन्होंने डॉक्टर से प्रति परीक्षण करते हुए यह भी कहा कि मृत्यु आत्महत्या थी और मृतका ने

फाँसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसे डॉक्टर ने नकार दिया। इसके अलावा, मृतका के शरीर पर पाए गए लक्षण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मृत्यु आत्महत्या नहीं थी, बल्कि गला घोंटकर हत्या की गई थी। यह अपराध अपीलकर्ताओं की जानकारी में गुप्त रूप से किया गया था, इसलिए उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और किसने उसका गला घोंटा।

17. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिमुख मारोती किरकान विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा है, महाराष्ट्र राज्य में, यदि किसी घर के अंदर गुप्त रूप से हत्या की जाती है, तो मामले को साबित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों की प्रकृति और मात्रा अलग-अलग हो सकती है। आरोप साबित करने के लिए आवश्यक सबूतों की मात्रा उतनी ही नहीं हो सकती जितनी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अन्य मामलों में आवश्यक होती है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित लिखा है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "15. जहाँ हत्या जैसा अपराध किसी घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहां मामले को साबित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप साबित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा अन्य

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामलों में आवश्यक साक्ष्य के समान नहीं हो सकती। भार अपेक्षाकृत हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, घर के निवासियों पर यह साबित करने का भार होगा कि अपराध कैसे किया गया। घर के निवासी केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर इस आधार पर बच नहीं सकते कि उनके मामले को साबित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर निर्भर है और आरोपी पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई दायित्व नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु घर के अंदर अपीलकर्ताओं की उपस्थिति में हुई थी। मृत्यु सामान्य या आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी। अपीलकर्ताओं ने मृतका की मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपीलकर्ताओं ने पुशऊ (अ.सा.-3) और छेदीलाल (अ.सा.-8) के समक्ष न्यायालय से बाहर अपराध स्वीकार किया है। पुशऊ (अ.सा.-3) और छेदीलाल (अ.सा.-8) तथा अन्य गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका और अपीलकर्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और अपीलकर्ता ईश्वर ने स्वयं स्वीकार किया है कि घटना से ठीक दो दिन पहले वह मृतका को टेकर गाँव से लाया था। इससे

पता चलता है कि शत्रुतापूर्ण संबंधों के आधार पर अपराध करने का उद्देश्य था। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाए, तो केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने ही अपराध किया है और मृतका निर्मला की हत्या की है।

20. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पडाला (पूर्वोक्त) मामले में कहा है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में या अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने में विफल रहने पर, आरोपी के विरुद्ध प्रबल संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना प्रकरण साबित कर दिया है और अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी को केवल प्रबल संदेह के आधार पर ही दोषी नहीं ठहराया है। पडाला (पूर्वोक्त) का प्रकरण तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने छित्तर (पूर्वोक्त) मामले में कहा है, केवल वापस लिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित नहीं है। वर्तमान मामले में, दोषसिद्धि केवल न्यायिकेतर संस्वीकृति पर आधारित नहीं है, बल्कि अन्य ठोस परिस्थितियों पर आधारित है। छित्तर (पूर्वोक्त) प्रकरण तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

22. अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विद्वान चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया है और कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा प्रदान की है।

23. साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने पर हमें चुनौती दिए गए निर्णय में कोई अवैधता या खामी नहीं मिली। अपील योग्यताहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है। अपीलार्थी क्र. 1 को राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया है। अपीलार्थी क्र. 2 भगवती बाई, जो जमानत पर हैं, को शेष सजा काटने के लिए बिलासपुर के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता./-	हस्ता./-
टी. पी.शर्मा	आर.एल. झंवर
न्यायाधिपति	न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Mahesh Sharma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur